(c) the reaction of Government regarding the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M. TRIVEDI): (a) and (b). A copy of the Report prepared by an expert Sub-Committee of the All India Manufacturers Association, Bombay, which contained some suggestions for development of port facilities, was received in August, 1972.

(c) The Report was examined. No specific action was required on the Report.

12 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, हम ने एक विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को सुबह समझाया था, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बारे में है । आ नहीं सकता । यह मैं ने आप को अपनी चेम्बर में समझाया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, 4 दिसम्बर को जो कुछ कहा गया प्रधान मंत्री की ओर से वह केवल प्रश्नों के बारे में नहीं था । उन का वक्तव्य असंदिग्ध है, दो टूक है ।

"No circular has gone from the Prime Minister's Secretariat in my time....neither verbally nor orally...."

वह कुछ गलत छपा है, मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियट में डिबेट को करेक्ट करने का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है :

"I have not seen the old papers. In my time, no such circular has gone. I do not normally look into questions unless a Minister wants to ask my advice or feels that I should know."

लेकिन कल हमारे सवाल के जवाब में जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा है वह पहले 4 दिसम्बर के वक्तव्य से अलग है । कल उन्होंने कहा, हां, 28 अक्तूबर को...

The MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): On a point of order. (*Interruptions*): I can also raise a point of order regarding the business of the House. We have received a copy that motion, but we had no intimation that it would be discussed today here. That was all I wanted to say.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अगर वह समय चाहते हैं तो हम समय देने के लिये तैयार हैं । मैं तो आपकी इजाजत चाहता हूं क्वेश्चन रेज करने के लिये ।

MR. SPEAKER: I had not allowed it as a privilege.

लेकिन अगर आप इस के ऊपर चाहेंगे तो उन को भेज दें ।

I had not accepted it. You just got up without my permission.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो आप से सबमिशन करेंगे । कल जो वक्तव्य दिया गया है उस में यह माना है कि 28 अक्तूबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था । सर्कुलर इस प्रकार है :

"The undersigned is directed to say that as in the past the Prime Minister would like to see advance copies of all statements to be made in Parliament by Ministers as also the brief for answering supplementaries to questions, if any. The Ministries are therefore requested

to forward four copies of such statements and briefs to this Secretariat as soon as they are finalised.

During the working hours these copies may kindly be sent to Mr. B. N. Tandon, Joint Secretary to the Prime Minister, Room No. 8, Parliament House; and at the Prime Minister's House after working hours and on holidays."

अब अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च को जो कुछ कहा था वह कहा था पुराना सर्कुलर है जिस मे कश्मीर के बारे मे कहा गया था कि जो भी जवाब देना हो वह प्राइम मिनिस्टर को दिखा लिया जाय। लेकिन जो 28 अक्तूबर का जनरल सर्कुलर है, और यह कहना ठीक नहीं है कि खाली स्टटमेंट के बारे मे है, सप्लीमेंटरीज के बारे में नहीं है। क्वेश्चन के सप्लीमेंटरीज भी होते हैं। स्टटमेंट के क्लेरिफ़िकेशन्स होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस को छोड़िये। बात यह है कि उन्होने पिछली दफ़ा कहा था कि यह कोई नई बात नहीं है। पहले यह जारी था हम ने इस को रिवाइव किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह नहीं कहा।

MR. SPEAKER: 'As in the past'. That is in that paper also. This was just revived.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले जो कहा था वह मैं पढ़ कर सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय : पेपर जो मैं ने देखा वह मैं ने बताया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

"Earlier on, I am not quite sure, what date in 1964 and perhaps once before, a suggestion was made that questions pertaining to Pakistan and Kashmir should be shown to the Prime Minister"

मगर अब जो सर्कुलर है वह केवल कश्मीर तक सीमित नही है। अब तो सब मंत्रियो को लपेटना है।

अध्यक्ष महोदय : उन को अख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर वह समय चाहते हैं तो समय दीजिये। मगर जानबूझ कर सदन को गुमराह किया गया है तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

12.05 hrs.

PAPERS LAID ON TABLE

REPORTS OF MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION *re*: M/S. LARSEN AND TOUBRO LTD., M/S. CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD., MADRAS, M/S. HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION LTD., BOMBAY AND M/S. LUCAS-TVS LTD., MADRAS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports (Hindi version) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission under section 62 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:—

(1) Report under section 23(6) of the said Act in the case of M/s Larsen and Toubre Limited and the Order dated the 11th October, 1972 of the Central Government.

(2) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s. Carborundum Universal Limited, Madras and the Order dated the 1st October, 1971 of the Central Government thereon.